

संविधान

2013

नव युवक दल



केन्द्रीय/पंजीकृत कार्यालय :

ग्राम-टिकरा, पोस्ट-धुंधटेर, जिला बाराबंकी (उत्तर प्रदेश) 225302

अनुकमाणिका

अनुच्छेद विषय	पृष्ठ संख्या
1. नाम	1
2. ध्वज	1
3. चुनाव चिन्ह	1
4. संकल्प	1
5. लक्ष्य व उद्देश्य	1
6. संगठनात्मक ढांचा	3
7. मतदान केन्द्र समितियां	4
8. प्राथमिक इकाई	4
9. विधान सभा क्षेत्र स्तरीय संगठन	5
10. जिला स्तरीय संगठन	7
11. राज्य स्तरीय संगठन	9
12. राष्ट्र स्तरीय संगठन	12
13. पूर्ण अधिवेशन	15
14. विषय निर्धारण समिति	16
15. विशेष अधिवेशन	16
16. कार्यकाल	16
17. कार्यकारिणियों का मनोनयन	16
18. सदस्यता	17
19. सदस्यता विवरण	19
20. मतदाता एवं प्रत्याशियों की पात्रता	20

नव युवक दल (NAV YUVAK DAL)

अनुच्छेद-1, नाम

पार्टी का नाम नव युवक दल होगा तथा इसका कार्यक्षेत्र सम्पूर्ण भारत होगा। इस संविधान में आगे प्रयुक्त "पार्टी" शब्द से अभिप्राय नव युवक दल से होगा।

अनुच्छेद-2, ध्वज

नव युवक दल के ध्वज पर निर्णय राष्ट्रीय कार्यकारिणी करेगी।

अनुच्छेद-3, चुनाव चिन्ह

पार्टी के चुनाव चिन्ह का निर्णय माननीय चुनाव आयोग के प्रावधानों के अनुसार किया जायेगा।

अनुच्छेद-4, संकल्प

नव युवक दल विधि द्वारा स्थापित भारत के संविधान के प्रति तथा समाजवाद, पंथ निरपेक्षता और लोकतंत्र के सिद्धान्तों के प्रति सच्ची श्रद्धा और निष्ठा रखेगी और भारत की प्रभुता, एकता और अखण्डता को अक्षुण्ण रखेगी।

अनुच्छेद-5, लक्ष्य व उद्देश्य

- 1 निकाय का मुख्य उद्देश्य विधि द्वारा स्थापित भारत के संविधान में प्रदत्त मौलिक अधिकारों को भारत के सभी नागरिकों तक पहुँचाना है जिससे उनकी प्राथमिक आवश्यकताओं के साथ-साथ उनके सामाजिक, आर्थिक और राजनैतिक आयामों का अधिकतम विकास हो सके।

2. निकाय का लक्ष्य ऐसे जन मत का निर्माण करना है जिसमें सम्पूर्ण समाज का हित हो । जाति और धर्म से उपर उठ कर सम्पूर्ण देशवासियों में शिक्षा के माध्यम से वैज्ञानिक सोच पैदा करके परस्पर भाई-चारे के साथ मानवतावादी समाज की रचना करना और सदियों से उपेक्षित, तिरस्कृत लोगों को उनके अधिकार और सम्मान दिलाकर भारत को पुनः स्वर्ण युग तक पहुँचाना है।
3. देश को स्वदेशी व उचित तकनीक प्रदान कर आत्मनिर्भर बनाना है। जिससे उसका सर्वांगीण विकास किया जा सके। प्रत्येक निवासी को समान अवसर और स्वतंत्रता प्राप्त हो तथा जो भारत को सुदृढ़ एवं सुसम्पन्न बनाते हुए उसे एक प्रगतिशील आधुनिक और जागरूक राष्ट्र बनाए। निकाय भारत के सभी नागरिकों को चाहें वे निकाय के सदस्य न भी हों आर्थिक, सामाजिक व राजनैतिक सहायता प्रदान करेगा।
4. पार्टी नेता, नीति, व नियमों को सुधार कर वर्तमान पतनशील सामाजिक और राजनीतिक व्यवस्था में आमूल-चूल परिवर्तन करके ऐसी व्यवस्था कायम करना चाहती है, जिसमें भ्रष्टाचारी, अत्याचारी, बेईमान व जालसाज व्यक्तियों के लिये कोई जगह न हो, जिससे गरीब से गरीब व्यक्ति भी अपने को एक न्यायप्रिय शासन व्यवस्था तथा आजाद देश का नागरिक होने के साथ-साथ भारतीय होने का गर्व महसूस कर सके।
5. पार्टी एक सुदृढ़, स्वावलंबी एवं हर दृष्टिकोण से मजबूत राष्ट्र के निर्माण के लिये वचनबद्ध है, जिसका आधार प्रगतिशीलता हो । पार्टी का पूर्ण विश्वास प्रजातांत्रिक व्यवस्था में है तथा हिंसा व आतंकवाद किसी भी रूप में अस्वीकार्य है ।
6. पार्टी गांव, गरीब व किसान के उत्थान के लिये निरन्तर प्रयासरत रहेगी । शहरी व ग्रामीण क्षेत्रों में कुटीर तथा अत्याधुनिक तकनीकी उद्योगों को प्रोत्साहन दिया जायेगा ।
7. राजनीति के प्रति आम नागरिकों की बढ़ती अरुचि के कारण राजनीति में गलत लोगों का दबदबा बढ़ता जा रहा है, इसीलिये पार्टी देश के सभी आम नागरिकों को राजनीति की मुख्य धारा से जोड़ना चाहती है ।
8. पार्टी का लक्ष्य सिर्फ सत्ता परिवर्तन ही नहीं, बल्कि व्यवस्था परिवर्तन के माध्यम से देशवासियों का जीवन स्तर उन्नत बनाना है ।

अनुच्छेद-6. संगठनात्मक ढांचा

पार्टी के निम्नलिखित अंग होंगे :-

- | | |
|----------------------------------|---|
| 1. मतदान केन्द्र समितियां | मतदान केन्द्र स्तरीय समिति |
| 2. प्राथमिक समितियां | ग्रामीण क्षेत्रों में न्याय पंचायत व
नगर पंचायतों/नगरपालिकाओं/
नगर निगमों में वार्ड समिति |
| 3. विधानसभा क्षेत्र स्तरीय संगठन | विधानसभा क्षेत्र परिषद
विधानसभा क्षेत्र कार्यकारिणी |
| 4. जिला स्तरीय संगठन | जिला परिषद
जिला कार्यकारिणी |
| 5. राज्य स्तरीय संगठन | राज्य परिषद
राज्य कार्यकारिणी |
| 6. राष्ट्रीय संगठन | राष्ट्रीय परिषद
राष्ट्रीय कार्यकारिणी
राष्ट्रीय कार्यसमिति |
| 7. पूर्ण अथवा विशेष अधिवेशन | |

नोट:-1, इस संविधान में उल्लिखित "राज्य" शब्द में केन्द्र शासित क्षेत्र भी शामिल होंगे ।

2, पांच लाख से ज्यादा आबादी वाले नगरों में नगर संगठन को इस संविधान के अन्तर्गत पृथक जिला स्तरीय संगठन माना जायेगा और इनका गठन जिला स्तरीय संगठन के नियमों के अनुसार ही होगा ।

अनुच्छेद-7, मतदान केन्द्र समितियां

(क) मतदान केन्द्र समितियों का गठन :-

1. मतदान केन्द्र समिति की स्थापना मतदान केन्द्र स्तर पर की जायेगी तथा केवल उन्हीं क्षेत्रों में ही की जायेगी, जहां हर बूथ पर कम से कम एक सदस्य होगा व मतदान केन्द्र समिति क्षेत्र में कम से कम पांच सक्रिय सदस्य होंगे ।
2. मतदान केन्द्र समिति में अध्यक्ष सहित कम से कम 5 और अधिक से अधिक 11 सदस्यों की कार्यकारिणी होगी ।
3. मतदान केन्द्र समिति की कार्यकारिणी के सदस्यों व अध्यक्ष का चुनाव मतदान केन्द्र समिति के क्षेत्र में निवास करने वाले सभी (साधारण व सक्रिय) सदस्यों द्वारा किया जाएगा। सक्रिय सदस्य ही मतदान केन्द्र समिति व कार्यकारिणी का अध्यक्ष हो सकेगा तथा कार्यकारिणी के अन्य सदस्य साधारण सदस्य भी हो सकते हैं ।
4. अध्यक्ष मतदान केन्द्र कार्यकारिणी के सदस्यों में से एक सचिव व एक कोषाध्यक्ष नियुक्त कर सकता है।
5. मतदान केन्द्र समिति के क्षेत्र में निवास करने वाले सभी सक्रिय सदस्य अपने में से किसी एक सदस्य को विधानसभा क्षेत्र परिषद के लिये निर्वाचित करेंगे ।

(ख) कार्य व अधिकार

पार्टी व उसकी नीतियों का प्रचार करना । पार्टी के सदस्य बनाना। पार्टी के लिये चन्दा एकत्र करना । चुनाव के समय समिति के क्षेत्र में पार्टी के प्रत्याशी का प्रचार करना । आवश्यक रिकार्ड रखना । अपने से उच्च इकाइयों को वांछित सूचनायें व रिकार्ड भेजना व उच्च इकाइयों द्वारा समय-समय पर दिये हुये निर्देशों का पालन करना।

अनुच्छेद-8, प्राथमिक समितियां

(क) प्राथमिक समितियों का गठन :-

1. ग्रामीण क्षेत्रों में न्याय पंचायत व नगर पंचायतों/नगर पालिकाओं /नगर निगमों में वार्ड स्तर पर प्राथमिक समिति का गठन किया जायेगा । प्राथमिक समिति का गठन तभी होगा, जब संबंधित समिति के क्षेत्र में कम से कम 11 (ग्यारह) सक्रिय सदस्य होंगे ।

2. प्राथमिक समिति में अध्यक्ष सहित कम से कम 5 और अधिक से अधिक 11 सदस्यों की कार्यकारिणी होगी ।
3. प्राथमिक समिति की कार्यकारिणी के सदस्यों व अध्यक्ष का चुनाव प्राथमिक समिति के क्षेत्र में निवास करने वाले सभी सक्रिय सदस्यों द्वारा किया जाएगा ।
4. अध्यक्ष प्राथमिक समिति की कार्यकारिणी के चुने गये सदस्यों में से एक उपाध्यक्ष, एक सचिव, एक उपसचिव व एक कोषाध्यक्ष नियुक्त कर सकता है ।
5. प्राथमिक समिति के क्षेत्र में निवास करने वाले सभी सक्रिय सदस्य अपने में से किसी एक सदस्य को विधानसभा क्षेत्र परिषद के लिये निर्वाचित करेंगे ।

नोट : विशेष स्थितियों में राष्ट्रीय कार्यकारिणी की अनुमति से संबंधित राज्य कार्यकारिणी स्थानीय आवश्यकताओं के अनुसार प्राथमिक समिति के कार्यक्षेत्र का निर्धारण कर सकती है

(ख) कार्य व अधिकार

पार्टी व उसकी नीतियों का प्रचार करना । पार्टी के सदस्य बनाना । पार्टी के लिये चन्दा एकत्र करना । चुनाव के समय समिति के क्षेत्र में पार्टी के प्रत्याशी का प्रचार करना । आवश्यक रिकार्ड रखना । अपने से उच्च इकाइयों को वांछित सूचनायें व रिकार्ड भेजना व उच्च इकाइयों द्वारा समय-समय पर दिये हुये निर्देशों का पालन करना ।

अनुच्छेद-9, विधानसभा क्षेत्र स्तरीय संगठन

क) विधानसभा क्षेत्र परिषद

1. इस परिषद के निम्नलिखित सदस्य होंगे :-
 - (i) विधानसभा क्षेत्र की सीमा के अन्तर्गत आने वाली मतदान केन्द्र समितियों व प्राथमिक समितियों द्वारा चुने गये प्रतिनिधि, एवं
 - (ii) विधानसभा क्षेत्र की सीमा के अन्तर्गत आने वाली मतदान केन्द्र समितियों व प्राथमिक समितियों के अध्यक्ष, एवं
 - (iii) विधानसभा क्षेत्र की सीमा के अन्तर्गत आने वाले स्थानीय निकायों व सहकारी समितियों में पार्टी का प्रतिनिधित्व करने वाले सदस्य व अध्यक्ष, एवं

- (iv) संबंधित विधानसभा क्षेत्र का विधायक, एवं
 - (v) पार्टी के सभी मोर्चों व प्रकोष्ठों के स्तरीय पदाधिकारी, एवं
 - (vi) विधान सभा क्षेत्र परिषद के अध्यक्ष द्वारा अपने चुनाव के बाद मनोनीत तीन सदस्य ।
2. सामान्यतः जब तक 50 प्रतिशत मतदान केन्द्र समितियों का गठन नहीं हो जाता, तब तक विधान सभा क्षेत्र परिषद का गठन नहीं होगा, किन्तु विशेष स्थितियों में इसके गठन का निर्णय संबंधित जिला कार्यकारिणी, राज्य कार्यकारिणी की सहमति से कर सकती है ।
 3. विधानसभा क्षेत्र परिषद के सदस्य समय-समय पर निर्धारित शुल्क का भुगतान करेंगे ।
 4. विधानसभा क्षेत्र परिषद के सदस्य मतदान केन्द्र समितियों व प्राथमिक समितियों से चुनकर आये प्रतिनिधियों में से निम्न सदस्यों का चुनाव करेंगे :-
 - (i) अध्यक्ष, जो कार्यकारिणी व परिषद दोनों का अध्यक्ष होगा ।
 - (ii) कार्यकारिणी के लिये 20 सदस्य ।
 - (iii) 20 सदस्य संबंधित जिला परिषद के लिए ।
 - (iv) 1 सदस्य संबंधित राज्य परिषद के लिए ।

ख) विधानसभा क्षेत्र कार्यकारिणी :-

1. विधानसभा क्षेत्र कार्यकारिणी में अध्यक्ष सहित कुल 21 सदस्य होंगे । विशेष परिस्थितियों में यह संख्या जिला कार्यकारिणी की सहमति से कम या अधिक की जा सकती है । इनमें से 20 सदस्य व अध्यक्ष का चुनाव विधानसभा क्षेत्र परिषद के सदस्य करेंगे ।
2. अध्यक्ष चुने गये सदस्यों में से निम्न पदाधिकारियों की नियुक्ति करेगा :-

1 उपाध्यक्ष	अधिकतम	2
2 महासचिव		1
3 सचिव	अधिकतम	2
4 उपसचिव	अधिकतम	4
5 कोषाध्यक्ष	अधिकतम	1

3. विधानसभा क्षेत्र कार्यकारिणी अध्यक्ष अपने अधीनस्थ समितियों के पदाधिकारियों की बैठक प्रत्येक माह में एक बार अवश्य करेगा।
4. विधानसभा क्षेत्र कार्यकारिणी का अध्यक्ष प्रत्येक माह में कम से कम एक बार कार्यकारिणी की बैठक अवश्य आयोजित करेगा।

(ग) कार्य व अधिकार

विधानसभा क्षेत्र में संगठन का ढांचा मजबूत करना। अपने क्षेत्र में पार्टी व उसके उद्देश्यों का प्रचार-प्रसार करना व उन उद्देश्यों की प्राप्ति के लिये आवश्यक कार्य करना इस कार्यकारिणी का मुख्य कार्य होगा। चुनाव के समय कार्यकारिणी के क्षेत्र में पार्टी के प्रत्याशी का प्रचार करना। पार्टी के लिये चन्दा एकत्र करना। आवश्यक रिकार्ड रखना। अपने से उच्च इकाइयों को वांछित सूचनायें व रिकार्ड भेजना व उच्च इकाइयों द्वारा समय-समय पर दिये हुये निर्देशों का पालन करना।

अनुच्छेद-10, जिला स्तरीय संगठन

(क) जिला परिषद

1. जिला परिषद में निम्नलिखित सदस्य होंगे :-
 - (i) जिले के अन्तर्गत आने वाली विधानसभा क्षेत्र परिषदों से चुने गये प्रतिनिधि, एवं
 - (ii) संबंधित जिले के अन्तर्गत आने वाले स्थानीय निकायों व सहकारी समितियों में पार्टी के सदस्यों द्वारा अपने में से चुने गये 10 प्रतिशत सदस्य, एवं
 - (iii) जिला परिषदों के पूर्व अध्यक्ष, जिन्होंने एक पूर्ण कार्यकाल पूरा किया हो तथा जो वर्तमान में पार्टी के सदस्य हों, एवं
 - (iv) जिले से निर्वाचित पार्टी के समस्त विधायक व सांसद, परन्तु ये जिला कार्यकारिणी के सदस्य या पदाधिकारी नहीं हो सकते, एवं
 - (v) जिले में नगर पंचायत, नगरनिगम, नगर पालिका, सहकारी समितियों एवं जिला पंचायत में पार्टी के सदस्य दल के नेता, एवं
 - (vi) सभी मोर्चों/प्रकोष्ठों के जिलास्तरीय व विधानसभा क्षेत्र स्तरीय पदाधिकारी, एवं
 - (vii) अधीनस्थ विधानसभा क्षेत्र परिषदों के अध्यक्ष, एवं
 - (viii) अध्यक्ष द्वारा मनोनीत 10 सदस्य।

2. सामान्यतः जब तक जिले की 50 प्रतिशत विधानसभा क्षेत्र परिषदों का गठन नहीं हो जाता, तब तक जिला परिषद का गठन नहीं होगा। विशेष परिस्थितियों में संबंधित राज्य कार्यकारिणी राष्ट्रीय कार्यसमिति की अनुमति से जिला परिषद के गठन का निर्णय ले सकती है।
3. जिला परिषद के सदस्य समय-समय पर निर्धारित शुल्क का भुगतान करेंगे।
4. जिला परिषद के सदस्य विधानसभा क्षेत्र परिषद से चुन कर आये प्रतिनिधियों में से निम्न सदस्यों का चुनाव करेंगे :-
 - (i) अध्यक्ष, जो कार्यकारिणी व परिषद दोनों का अध्यक्ष होगा।
 - (ii) जिला कार्यकारिणी के लिये 28 सदस्य।
 - (iii) 1 सदस्य संबंधित राज्य परिषद के लिए।
 - (iv) 1 सदस्य राष्ट्रीय परिषद के लिए।

(ख) जिला कार्यकारिणी :-

1. जिला कार्यकारिणी की कुल सदस्य संख्या 31 होगी, जिनमें से अध्यक्ष के अतिरिक्त 28 सदस्यों का चुनाव निर्धारित नियमों के अनुसार जिला परिषद के सदस्य करेंगे।
2. जिला कार्यकारिणी का अध्यक्ष अपने क्षेत्र में रहने वाले किन्हीं 2 सक्रिय सदस्यों को नियमानुसार कार्यकारिणी के लिये मनोनीत कर सकता है।
3. जिला परिषद का अध्यक्ष जिला कार्यकारिणी के लिए चुने गये सदस्यों में से निम्न पदाधिकारियों की नियुक्ति करेगा :-

1	उपाध्यक्ष	अधिकतम	2
2	महासचिव		1
3	सचिव	अधिकतम	2
4	उपसचिव	अधिकतम	4
5	प्रवक्ता		1
6	कोषाध्यक्ष		1
4. जिला कार्यकारिणी का अध्यक्ष निर्वाचित सदस्यों के बाहर से भी प्रदेश अध्यक्ष की पूर्वानुमति से एक अतिरिक्त संगठन मंत्री की नियुक्ति कर सकता है, जो बैठकों में तो भाग लेगा, किन्तु वह परिषद या कार्यकारिणी की बैठकों में मताधिकार का प्रयोग नहीं कर सकेगा।

5. जिला अध्यक्ष प्रत्येक माह में कम से कम एक बार कार्यकारिणी की बैठक अवश्य आयोजित करेगा।
6. जिला अध्यक्ष अपने अधीनस्थ विधानसभा क्षेत्र कार्यकारिणी के पदाधिकारियों की बैठक प्रत्येक 3 माह में एक बार अवश्य करेगा।

(ग) कार्य व अधिकार

जिले में संगठन का ढांचा मजबूत करना। अपने क्षेत्र में पार्टी व उसके उद्देश्यों का प्रचार-प्रसार करना व उन उद्देश्यों की प्राप्ति के लिये आवश्यक कार्य करना इस कार्यकारिणी का मुख्य कार्य होगा। चुनाव के समय कार्यकारिणी के क्षेत्र में पार्टी के प्रत्याशी का प्रचार करना। आवश्यक रिकार्ड रखना। अपने से उच्च इकाइयों को वांछित सूचनायें व रिकार्ड भेजना व उच्च इकाइयों द्वारा समय-समय पर दिये हुये निर्देशों का पालन करना। पार्टी के लिये चंदा एकत्र करना।

अनुच्छेद-11, राज्य स्तरीय संगठन

(क) राज्य परिषद

1. राज्य परिषद के निम्नलिखित सदस्य होंगे :-

- (i) राज्य परिषद के अधिकार क्षेत्र में स्थित प्रत्येक विधानसभा क्षेत्र परिषद द्वारा निर्वाचित प्रतिनिधि, एवं
- (ii) राज्य परिषद के अधिकार क्षेत्र में स्थित प्रत्येक जिला परिषद द्वारा निर्वाचित प्रतिनिधि, एवं
- (iii) अधीनस्थ विधानसभा क्षेत्र परिषदों व जिला परिषदों के अध्यक्ष, एवं
- (iv) राज्य से निर्वाचित पार्टी के सभी विधायक व सांसद, एवं
- (v) राज्य परिषदों के पूर्व अध्यक्ष, पूर्व सांसद, पूर्व विधायक व पूर्व मुख्यमंत्री, यदि वे वर्तमान में पार्टी के सक्रिय सदस्य हों, एवं
- (vi) राज्य एवं जिला स्तरीय मोर्चों व प्रकोष्ठों के अध्यक्ष, एवं
- (vii) राज्य परिषद के अधिकार क्षेत्र में आने वाले स्थानीय निकायों में पार्टी के सदस्य दल के नेता, एवं
- (viii) अध्यक्ष द्वारा मनोनीत अधिकतम 20 सदस्य।

2. सामान्यतः जब तक राज्य की 30 प्रतिशत जिला परिषदों का गठन नहीं हो जाता, तब तक राज्य परिषद का गठन नहीं होगा, किन्तु विशेष स्थितियों में इसके गठन का निर्णय राष्ट्रीय कार्यसमिति कर सकती है ।
3. राज्य परिषद के सदस्य नियमानुसार निर्धारित शुल्क का भुगतान करेंगे ।
4. राज्य परिषद के सदस्य विधानसभा क्षेत्र परिषदों व जिला परिषदों द्वारा चुने गये प्रतिनिधियों में से निम्न सदस्यों का चुनाव करेंगे :-
 - (i) अध्यक्ष, जो कार्यकारिणी व परिषद दोनों का अध्यक्ष होगा ।
 - (ii) राज्य कार्यकारिणी के लिये 45 सदस्य ।
 - (iii) राज्य परिषद के सदस्य संबंधित राज्य में कुल लोकसभा निर्वाचन क्षेत्रों की संख्या के 10 प्रतिशत के बराबर सदस्य राष्ट्रीय परिषद के लिए चुनेंगे । यदि किसी राज्य में लोकसभा निर्वाचन क्षेत्रों की संख्या 10 से कम है तो उस राज्य से एक सदस्य का चुनाव किया जायेगा ।

नोट : यह सीमा राष्ट्रीय कार्यकारिणी द्वारा बढ़ाई या घटाई जा सकती है ।

(ख) राज्य कार्यकारिणी :-

1. राज्य कार्यकारिणी में 51 सदस्य होंगे, जिनमें से अध्यक्ष व 45 सदस्यों का चुनाव संबंधित राज्य परिषद करेगी तथा 5 सदस्यों का मनोनयन प्रदेश अध्यक्ष अपने चुनाव के बाद करेगा ।

नोट - मनोनीत सदस्य किसी भी दशा में कुल चुने गये सदस्यों के 20 प्रतिशत से अधिक नहीं होंगे ।

2. राज्य कार्यकारिणी का अध्यक्ष कार्यकारिणी के सदस्यों में से निम्न पदाधिकारियों की नियुक्ति करेगा :-

1	उपाध्यक्ष	अधिकतम	4
2	मुख्य महासचिव		1
3	महासचिव	अधिकतम	4
4	सचिव	अधिकतम	8
5	उपसचिव	अधिकतम	16
6	प्रवक्ता		1
7	कोषाध्यक्ष		1

3. राज्य कार्यकारिणी का अध्यक्ष निर्वाचित सदस्यों के बाहर से भी राष्ट्रीय अध्यक्ष की सहमति से एक अतिरिक्त संगठन मंत्री की नियुक्ति कर सकेगा, जो बैठकों में तो भाग लेगा, किन्तु वह परिषद या कार्यकारिणी की बैठकों में मताधिकार का प्रयोग नहीं कर सकेगा।
4. राज्य कार्यकारिणी का अध्यक्ष प्रत्येक दो माह में कम से कम एक बार कार्यकारिणी की बैठक अवश्य आयोजित करेगा।

(ग) राज्य परिषदों/कार्यकारिणियों का क्षेत्र

1. भारतीय संविधान की प्रथम अनुसूची में उल्लिखित राज्य और केन्द्र शासित क्षेत्रों के अनुरूप पार्टी की राज्य इकाइयों का गठन होगा।
2. राष्ट्रीय कार्यकारिणी प्रशासनिक सुविधा के लिए संबंधित राज्य इकाई की सहमति से किसी भी राज्य या केन्द्र शासित क्षेत्र के भाग को दूसरी राज्य शाखा को स्थानांतरित कर सकती है।
3. राष्ट्रीय कार्यकारिणी महानगरों में विशेष प्रांतीय स्तर की परिषद के गठन की स्वीकृति दे सकती है।
4. राज्य इकाई का मुख्यालय संबंधित राज्य/केन्द्र शासित क्षेत्र की राजधानी में रखा जाएगा, लेकिन राज्य इकाई राष्ट्रीय कार्यकारिणी से स्वीकृति लेकर राज्य इकाई का मुख्यालय बदल सकती है।

(घ) कार्य व अधिकार

राज्य में पार्टी के संगठन को मजबूत करना एवं राज्य स्तरीय मुद्दों पर जनमत तैयार करना। पार्टी व उसके उद्देश्यों का प्रचार-प्रसार करना व उन उद्देश्यों की प्राप्ति के लिये आवश्यक कार्य करना। चुनाव के समय पार्टी के प्रत्याशियों का प्रचार करना। आवश्यक रिकार्ड रखना। राष्ट्रीय संगठन द्वारा वांछित सूचनायें व रिकार्ड अपने से निम्न स्तर की इकाइयों से मंगाना व राष्ट्रीय संगठन को भेजना। राष्ट्रीय संगठन द्वारा समय-समय पर दिये हुये निर्देशों का पालन करना व अपने से निम्न स्तर की इकाइयों से कराना। पार्टी के लिये चंदा एकत्र करना।

अनुच्छेद-12, राष्ट्रीय संगठन

(क) राष्ट्रीय परिषद

1. राष्ट्रीय परिषद के निम्नलिखित सदस्य होंगे :-

- (i) जिला परिषदों द्वारा राष्ट्रीय परिषद के लिये चुने गये प्रतिनिधि,
- (ii) सभी राज्य परिषदों के अध्यक्ष तथा राज्य परिषदों द्वारा नियमानुसार निर्वाचित प्रतिनिधि, एवं
- (iii) पार्टी के सभी सांसद व सभी विधायक, एवं
- (iv) पार्टी के सभी पूर्व अध्यक्ष, पूर्व प्रधानमंत्री, पूर्व सांसद, जो वर्तमान में पार्टी के सक्रिय सदस्य हों, एवं
- (v) सभी प्रदेशों के भूतपूर्व मुख्यमंत्री, जो वर्तमान में पार्टी के सक्रिय सदस्य हों, एवं
- (vi) राष्ट्रीय कार्यकारिणी व राष्ट्रीय कार्यसमिति के सभी सदस्य, एवं
- (vii) संबंधित मोर्चों व प्रकोष्ठों में पार्टी के राज्य व अखिल भारतीय अध्यक्ष, एवं
- (viii) राष्ट्रीय अध्यक्ष द्वारा अपने चुनाव के बाद मनोनीत अधिकतम 50 सदस्य,

नोट- यह संख्या किसी भी दशा में कुल चुने सदस्यों के 20 प्रतिशत से अधिक नहीं होगी।

2. राष्ट्रीय परिषद को इस संविधान के अनुरूप पार्टी के मामलों में नियमन हेतु कदम उठाने का अधिकार होगा और सभी अधीनस्थ इकाइयों को उसके आदेशों का पालन करना होगा।
3. राष्ट्रीय परिषद के सभी सदस्यों को निर्धारित आवश्यक शुल्क का भुगतान करना होगा।
4. राष्ट्रीय परिषद के सदस्य राष्ट्रीय कार्यकारिणी के लिए अध्यक्ष तथा 60 सदस्यों का चुनाव करेंगे। इस प्रकार निर्वाचित अध्यक्ष ही राष्ट्रीय परिषद/राष्ट्रीय कार्यसमिति/पूर्ण अधिवेशन/विशेष अधिवेशन का भी अध्यक्ष होगा।

(ख) राष्ट्रीय कार्यकारिणी

1. राष्ट्रीय कार्यकारिणी राष्ट्रीय परिषद/पूर्ण अधिवेशन/विशेष अधिवेशन के प्रति उत्तरदायी होगी।
2. राष्ट्रीय कार्यकारिणी में 71 सदस्य होंगे, जिनमें से एक अध्यक्ष तथा 60 सदस्य नियमानुसार परिषद द्वारा निर्वाचित होंगे।

3. अपने निर्वाचन के बाद राष्ट्रीय अध्यक्ष कार्यकारिणी में 10 सदस्यों को मनोनीत कर सकता है।

नोट- यह संख्या किसी भी दशा में कुल चुने सदस्यों के 20 प्रतिशत से अधिक नहीं होगी।

4. अपने चुनाव के बाद राष्ट्रीय अध्यक्ष राष्ट्रीय कार्यकारिणी के लिए चुने गये सदस्यों में से निम्न पदाधिकारियों की नियुक्ति करेगा :-

1	उपाध्यक्ष	अधिकतम	5
2	प्रधान महासचिव		1
3	महासचिव	अधिकतम	5
4	सचिव	अधिकतम	10
5	उपसचिव	अधिकतम	20
6	प्रवक्ता		1
7	कोषाध्यक्ष		1

5. राष्ट्रीय कार्यकारिणी की किसी भी बैठक के लिए कोरम (गणपूर्ति) 21 होगी।
6. संसद के दोनो सदनों में पार्टी के नेता कार्यकारिणी में पदेन सदस्य होंगे।
7. प्रत्येक राज्य कार्यकारिणी के अध्यक्ष, राज्यों की विधानसभा/विधान परिषदों में पार्टी का नेतृत्व करने वाले नेता राष्ट्रीय कार्यकारिणी के पदेन सदस्य होंगे।
8. संबंधित मोर्चों व प्रकोष्ठों में पार्टी के अखिल भारतीय अध्यक्ष राष्ट्रीय कार्यकारिणी के पदेन सदस्य होंगे।

नोट: पदेन सदस्य कार्यवाही में तो भाग ले सकते हैं , किन्तु उन्हें मत देने का अधिकार नहीं होगा।

9. राष्ट्रीय कार्यकारिणी के अधिकार व कार्य :-

- राष्ट्रीय कार्यकारिणी को पूर्ण अथवा विशेष अधिवेशन तथा राष्ट्रीय परिषद द्वारा निर्धारित नीतियों एवं कार्यक्रमों को क्रियान्वित करने का अधिकार होगा।
- सामान्यतः अनुशासन संबंधी सभी मामलों में राष्ट्रीय कार्यकारिणी का निर्णय अन्तिम माना जाएगा, किन्तु विशेष परिस्थितियों में राष्ट्रीय कार्यसमिति इन निर्णयों पर विचार कर निर्णय ले सकती है और उस परिस्थिति में राष्ट्रीय कार्यसमिति का निर्णय अन्तिम होगा।
- राष्ट्रीय कार्यकारिणी पार्टी के खातों व हिसाब-किताब की जांच/अंकेक्षण करने के लिये राष्ट्रीय कार्यसमिति की संस्तुति से प्रमाणित अंकेक्षक/अंकेक्षकों की नियुक्ति करेगी।

- (iv) किसी विशेष परिस्थिति में राष्ट्रीय कार्यकारिणी को पार्टी के हित में यथोचित कार्रवाई करने का अधिकार होगा, किन्तु यदि कोई ऐसी कार्रवाई की जाती है, जो संविधान में उल्लिखित राष्ट्रीय कार्यकारिणी के अधिकारों से बाहर है, तो उसे पुष्टि के लिए यथाशीघ्र राष्ट्रीय परिषद के समक्ष रखना होगा।

(ग) राष्ट्रीय कार्यसमिति

1. राष्ट्रीय कार्यसमिति पार्टी की सर्वोच्च संस्था होगी ।
2. राष्ट्रीय कार्यसमिति में निम्नलिखित 11 सदस्य होंगे:-
 - राष्ट्रीय अध्यक्ष
 - राष्ट्रीय प्रधान महासचिव
 - राष्ट्रीय कोषाध्यक्ष
 - कानूनी सलाहकार (कानूनी सलाहकार की नियुक्ति राष्ट्रीय परिषद द्वारा की जायेगी । कानूनी सलाहकार का पार्टी का सदस्य होना आवश्यक नहीं है ।)
 - 3 सदस्य नियमानुसार राष्ट्रीय परिषद द्वारा निर्वाचित होंगे।
 - संसद के दोनो सदनों में पार्टी के नेता (यदि कोई हों)
 - 2 (दो) सदस्यों को राष्ट्रीय अध्यक्ष द्वारा निर्धारित प्रदेशों के अध्यक्ष नामांकित करेंगे । जब तक संसद के सदनों में पार्टी के नेता के पद रिक्त रहते हैं तो बाकी 2 (दो) सदस्यों का नामांकन राष्ट्रीय अध्यक्ष करेंगे ।
3. राष्ट्रीय कार्यसमिति के अधिकार व कार्य :-
 - (i) राष्ट्रीय कार्यसमिति पार्टी की सबसे बड़ी व सर्वाधिक अधिकार प्राप्त सभा होगी तथा उसे पूर्ण अथवा विशेष अधिवेशन तथा राष्ट्रीय परिषद व कार्यकारिणी द्वारा निर्धारित नीतियों एवं कार्यक्रमों को क्रियान्वित करने का अधिकार होगा।
 - (ii) इस संविधान के अनुच्छेदों की व्याख्या करने और प्रयोग संबंधी सभी मामलों में कार्यसमिति को निर्णय लेने का अधिकार होगा, जिन्हें राष्ट्रीय कार्यकारिणी अनुमोदित करेगी।
 - (iii) इस संविधान को क्रियान्वित करने व संगठन को सुचारु रूप से चलाने के लिये राष्ट्रीय कार्यसमिति नियम बनायेगी तथा आवश्यकतानुसार इनमें संशोधन व परिवर्तन करने का अधिकार भी राष्ट्रीय कार्यसमिति को होगा।

- (iv) पार्टी की समस्त इकाइयों को संविधान सम्मत आदेश देगी।
- (v) अनुशासन संबंधी सभी मामलों में राष्ट्रीय कार्यसमिति विशेष परिस्थितियों में अपना अन्तिम निर्णय देगी।
- (vi) राष्ट्रीय कार्यसमिति पार्टी के खातों व हिसाब-किताब की जांच/अंकेक्षण करने के लिये प्रमाणित अंकेक्षक/अंकेक्षकों की नियुक्ति के लिये राष्ट्रीय कार्यकारिणी को संस्तुति करेगी।

अनुच्छेद-13, पूर्ण अधिवेशन

1. पार्टी का पूर्ण अधिवेशन सामान्यतः तीन वर्ष में एक बार होगा।
2. पूर्ण अधिवेशन के समय व स्थान का निर्णय राष्ट्रीय कार्यकारिणी द्वारा किया जायेगा।
3. इसमें राष्ट्रीय परिषद तथा सभी राज्यों की कार्यकारिणियों के सभी सदस्य प्रतिनिधि के रूप में भाग लेंगे।
4. अधिवेशन में विषय निर्धारण समिति द्वारा स्वीकृत प्रस्तावों पर विचार किया जायेगा, जिन्हें राष्ट्रीय कार्यकारिणी प्रस्तुत करेगी। इसके पश्चात अधिवेशन ऐसे सारगर्भित प्रस्तावों पर विचार करेगा, जो पूर्वनिर्धारित प्रस्तावों के प्रारूप में सम्मिलित नहीं हैं, परन्तु जिसके लिए उस दिन बैठक आरम्भ होने से पूर्व कम से कम 50 प्रतिनिधियों ने अधिवेशन में प्रस्तुत करने की अनुमति आवेदन पत्र देकर मांगी हो।
5. जिस राज्य कार्यकारिणी के अधिकार क्षेत्र में अधिवेशन होगा, वह स्वागत समिति के रूप में अधिवेशन की सम्पूर्ण व्यवस्था के लिए उत्तरदायी होगी।
6. स्वागत समिति अधिवेशन के लिए सभी आवश्यक व्यवस्था सुनिश्चित करेगी, जिसमें धन-संग्रह और उसका लेखा-जोखा रखना भी सम्मिलित होगा।
7. अधिवेशन के पश्चात 6 महीने के अन्दर इस लेखे-जोखे का आडिट राष्ट्रीय कार्यकारिणी द्वारा नियुक्त आडिटर/आडिटरों के एक दल से कराया जायेगा।
8. स्वागत समिति के पास जो धनराशि बची रहेगी उसमें से आधी राशि राष्ट्रीय परिषद के कोष को दी जायेगी तथा आधी उसी राज्य कार्यकारिणी के कोष में जमा होगी।

अनुच्छेद-14, विषय निर्धारण समिति

1. अधिवेशन से पूर्व राष्ट्रीय कार्यकारिणी की बैठक विषय निर्धारण समिति के रूप में होगी, जिसकी अध्यक्षता भी राष्ट्रीय परिषद के अध्यक्ष करेंगे।
2. राष्ट्रीय कार्यसमिति विषय निर्धारण समिति के समक्ष कार्यक्रम प्रस्तुत करेगी, जिसमें पूर्ण अधिवेशन के मसविदे सम्मिलित होंगे।
3. इस प्रकार विषय निर्धारण समिति बहुमत/सर्वसम्मति से विचारार्थ प्रस्तुत किये जाने वाले जिन विषयों का अन्तिम रूप से निर्धारण करेगी, वे विषय ही पूर्ण अधिवेशन में रखे जायेंगे।

अनुच्छेद-15, विशेष अधिवेशन

1. पार्टी का विशेष अधिवेशन तब होगा जबकि आधे से अधिक राज्य कार्यकारिणियां या राष्ट्रीय परिषद के 50 प्रतिशत सदस्य सारगर्भित प्रश्नों पर चर्चा की मांग प्रस्ताव द्वारा करें या राष्ट्रीय कार्यकारिणी ऐसा निश्चित करे।
2. पूर्ण अधिवेशन के प्रतिनिधि ही विशेष अधिवेशन के भी प्रतिनिधि होंगे।
3. विशेष अधिवेशन की व्यवस्था उसी राज्य परिषद द्वारा की जायेगी, जिसे अधिवेशन का आयोजन करने के लिए चुना जाएगा।

अनुच्छेद-16, कार्यकाल

प्रत्येक परिषद, प्रत्येक कार्यकारिणी, प्रत्येक समिति व सभी पदाधिकारियों का कार्यकाल सामान्यतः तीन वर्ष का होगा। विशेष परिस्थितियों में यदि राष्ट्रीय परिषद चाहे तो वह राष्ट्रीय अध्यक्ष का कार्यकाल अधिकतम अगले एक वर्ष के लिए बढ़ा सकती है।

विशेष परिस्थितियों में राष्ट्रीय कार्यसमिति राज्य परिषद व राज्य कार्यकारिणी तथा राज्य अध्यक्ष का कार्यकाल अधिकतम अगले एक वर्ष के लिए बढ़ा सकती है।

अनुच्छेद-17, कार्यकारिणियों का मनोनयन

इस संविधान के अनुसार संबंधित परिषदों का गठन न होने पर विधानसभा क्षेत्रों व जिलों के अध्यक्षों व कार्यकारिणियों का मनोनयन राज्य अध्यक्ष द्वारा व राज्य अध्यक्षों व राज्य कार्यकारिणियों का मनोनयन राष्ट्रीय अध्यक्ष द्वारा किया जायेगा। मतदान केंद्र समितियों व प्राथमिक समितियों के अध्यक्षों व कार्यकारिणियों का मनोनयन जिला अध्यक्ष द्वारा किया जायेगा।

अनुच्छेद-18, सदस्यता

(क) पात्रता

1. कोई भी भारतीय नागरिक जो 18 वर्ष या उससे अधिक आयु का हो, तथा
2. भारतीय संविधान में आस्था रखता हो तथा विश्व-बन्धुत्व में विश्वास रखता हो, तथा
3. पार्टी के संविधान के अनुच्छेद 4 व 5 को स्वीकार करता हो तथा पार्टी के संविधान में आस्था रखता हो, तथा
4. किसी अन्य राजनैतिक व साम्प्रदायिक दल/संगठन का सदस्य न हो, जिसकी पृथक सदस्यता, पृथक कार्यक्रम या संविधान हो, तथा
5. किसी भी ऐसे फ्रंट, आर्गेनाइजेशन में काम नहीं करता हो जो पार्टी की नीतियों के विरुद्ध काम करता हो।

(ख) सदस्यता के प्रकार :-

अ- साधारण सदस्य :-

1. उपरोक्त उपअनुच्छेद 'क' के अनुसार पात्रता का व्यक्ति निर्धारित फार्म में लिखित घोषणा करके तथा 30 रुपये त्रैवार्षिक शुल्क जमा करके पार्टी का साधारण सदस्य बन सकता है।
2. कोई भी व्यक्ति स्थायी निवास स्थान पर या जहां वह काम करता हो, पार्टी का साधारण सदस्य बन सकेगा।
3. साधारण सदस्य मतदान केन्द्र समिति के चुनाव में भाग लेने के अधिकारी होंगे तथा वे मतदान केन्द्र समिति के पदाधिकारी (अध्यक्ष को छोड़ कर) भी बन सकते हैं, किन्तु अध्यक्ष के लिये सक्रिय सदस्य होना आवश्यक है।

ब- सक्रिय सदस्य :-

1. किसी भी साधारण सदस्य को सक्रिय सदस्य बनने के लिये स्वयं या चंदा (पार्टी की रसीद पर) एकत्र करके 100 रुपये अतिरिक्त धनराशि का योगदान करना होगा या कम से कम 10 साधारण सदस्य बनाने होंगे तथा सक्रिय सदस्यता का फार्म भी भरना होगा।

2. पार्टी यदि अपनी कोई पत्रिका या मुखपत्र निकालती है तो सक्रिय सदस्य को उसका ग्राहक बनना होगा ।
3. किसी भी परिषद, कार्यकारिणी, समिति, मोर्चे व प्रकोष्ठ का सदस्य या पदाधिकारी बनने के लिये सक्रिय सदस्य होना आवश्यक है । केवल मतदान केन्द्र समिति की कार्यकारिणी में सदस्य या पदाधिकारी (अध्यक्ष को छोड़ कर) साधारण सदस्य भी हो सकते हैं ।

(ग) परिचय पत्र

जिला इकाई राष्ट्रीय कार्यसमिति द्वारा निर्धारित नियमों के अनुसार सदस्यों को परिचय पत्र जारी करेगी। परिचय पत्र का शुल्क राष्ट्रीय कार्यसमिति निर्धारित करेगी व सदस्यों को वह शुल्क देना होगा ।

(घ) सदस्यता का नवीनीकरण :-

1. साधारण व सक्रिय सदस्यता का कार्यकाल 3 वर्ष का होगा जो 1 जुलाई से प्रारम्भ होकर तीसरे वर्ष के 30 जून तक चलेगा ।
2. सदस्यता तब तक जारी रहेगी जब तक कि सदस्य सदस्यता के नियमों के अनुसार सदस्यता-शुल्क पार्टी कोष में जमा करता रहेगा एवं अन्य प्रतिबन्धों व शर्तों का पालन करता रहेगा।
3. सदस्यता का नवीनीकरण निर्धारित शुल्क जमा करने तथा इसके लिए निर्धारित फार्म भरने पर पूर्ण हुआ मान लिया जायेगा।

(ङ) सदस्यता की समाप्ति :-

निम्न दशाओं में किसी भी सदस्य की सदस्यता समाप्त हो जाएगी :-

1. मृत्यु हो जाने पर,
2. पागल अथवा दिवालिया हो जाने पर,
3. त्यागपत्र देने पर,
4. सदस्यता से हटाने पर,
5. निर्धारित सदस्यता शुल्क जमा न करने पर,
6. किसी अन्य राजनैतिक दल या संगठन का सदस्य बनने पर, जिसका अपना चार्टर/संविधान हो।
7. कोई भी ऐसा कार्य करने पर जो देशद्रोह की श्रेणी में आता हो।

(च) सदस्यता का स्थानान्तरण :-

सदस्यों का क्षेत्र उसी संबंधित राज्य तक सीमित रहेगा, जिसमें वह सदस्य बनता है लेकिन कोई भी सदस्य अपनी सदस्यता किसी दूसरे राज्य में स्थानान्तरित करने की प्रार्थना कर सकता है। इसके लिए राष्ट्रीय कार्यकारिणी नियम बना सकती है व शुल्क निर्धारित कर सकती है।

(छ) सदस्यता की छानबीन :-

जिला परिषदों और राज्य परिषदों की कार्यकारिणियां राष्ट्रीय कार्यसमिति द्वारा निर्धारित नियमों के अनुसार सदस्यों की भर्ती और उनके संबंध में शिकायतों को निपटाने के लिए समय-समय पर व्यवस्था करेंगी, लेकिन जब कभी राष्ट्रीय कार्यसमिति को गंभीर शिकायतें मिलेंगी तो उसे ऐसी शिकायतों की जांच-पड़ताल और आवश्यक कार्रवाई करने का अधिकार होगा। सदस्यता के संबंध में राष्ट्रीय कार्यसमिति का निर्णय अंतिम एवं बाध्यकारी होगा।

अनुच्छेद-19, सदस्यता विवरण

(क) पंजिका :-

जिला कार्यकारिणियां अपने क्षेत्र के सदस्यों के लिए जिला अध्यक्ष की देख-रेख में साधारण एवं सक्रिय सदस्यों के विवरण पृथक-पृथक रजिस्टर में दर्ज करवाएंगी।

(ख) सूचियां :-

1. जिला अध्यक्ष व जिला महासचिव दोनों के हस्ताक्षरों से युक्त सक्रिय सदस्यों की सूची संबंधित राज्य कार्यकारिणी को भेजी जायेगी।
2. जिला कार्यकारिणियों द्वारा तैयार की गई सूचियों को संबंधित राज्य कार्यकारिणियां निर्धारित नियमों के अनुसार प्रमाणित करेंगी।
3. राज्य कार्यकारिणियां अपने सदस्यों की सूचियां राष्ट्रीय संगठन के केन्द्रीय कार्यालय को भेजेंगी तथा वे उन्हें उन परिवर्तनों के बारे में भी सूचित करेंगी जो इनमें समय-समय पर किये जायेंगे। इस बारे में विस्तृत नियम राष्ट्रीय कार्यसमिति बनायेगी।

अनुच्छेद-20, मतदाताओं एवं प्रत्याशियों की पात्रता

1. विभिन्न स्तरों पर संगठनात्मक चुनावों में मतदान करने व प्रत्याशी बनने के लिये सदस्य का नाम जिलों में रखी गयी (राज्य कार्यकारिणी द्वारा स्वीकृत) सदस्य पंजिकाओं में दर्ज होना अनिवार्य है ।
2. यदि किसी सदस्य का शुल्क बकाया है, तो वह संगठनात्मक चुनावों में मतदान करने व प्रत्याशी बनने की अर्हता खो देगा ।
3. कोई भी सदस्य अपने क्षेत्र से ही चुनाव लड़ सकता है अर्थात् राष्ट्रीय परिषद के चुनाव में अपने राज्य/जिले से, राज्य परिषद के चुनाव में अपने जिले/विधानसभा क्षेत्र से, जिला परिषद में अपने विधानसभा क्षेत्र से तथा विधानसभा क्षेत्र के चुनाव में अपनी प्राथमिक समिति/मतदान केंद्र समिति के क्षेत्र से ।

अनुच्छेद-21, संगठनात्मक चुनाव

(क) चुनाव तंत्र :-

1. राष्ट्रीय कार्यसमिति पार्टी के किसी सदस्य को राष्ट्रीय चुनाव/निर्वाचन अधिकारी नियुक्त करेगी जो निश्चित नियमों के अनुसार राष्ट्रीय व राज्य स्तर पर कार्यकारिणियों एवं परिषदों के सदस्यों के चुनाव की समस्त व्यवस्था करेगा ।
2. आवश्यकता होने पर राष्ट्रीय चुनाव/निर्वाचन अधिकारी राष्ट्रीय कार्यसमिति की सलाह से सहायक चुनाव/निर्वाचन अधिकारी और ऐसे ही अन्य अधिकारी, जो पार्टी के चुनावों का सुचारु प्रबन्ध करने के लिए आवश्यक हों, नियुक्त करेगा ।
3. पार्टी की राज्य कार्यकारिणियां अपने-अपने राज्यों में जिला, विधानसभा क्षेत्र, प्राथमिक समितियों, मतदान केन्द्र समितियों के चुनाव के लिये जिला चुनाव/निर्वाचन अधिकारी व सहायक निर्वाचन अधिकारी और ऐसे ही अन्य अधिकारियों, जो पार्टी के चुनावों का सुचारु प्रबन्ध करने के लिए आवश्यक हों, नियुक्त करेंगी ।
4. सभी चुनाव/निर्वाचन अधिकारी व सहायक चुनाव/निर्वाचन अधिकारी पार्टी के सक्रिय सदस्य होंगे किन्तु वे किसी भी कार्यकारिणी/कार्यसमिति के सदस्य या पदाधिकारी नहीं होंगे । यदि वे अपनी नियुक्ति के समय किसी कार्यकारिणी के सदस्य या पदाधिकारी हैं, तो चुनाव/निर्वाचन अधिकारी बनने की तिथि से उस पद (कार्यकारिणी के सदस्य या पदाधिकारी) से मुक्त हो जायेंगे ।

5. यदि उपअनुच्छेद 3 में वर्णित व्यवस्थानुसार निर्वाचन अधिकारी नियुक्त करने में राज्य कार्यकारिणियां असमर्थ रहती हैं तो इस स्थिति में राष्ट्रीय कार्यसमिति जिला निर्वाचन अधिकारी की नियुक्ति करेगी।
6. राष्ट्रीय कार्यसमिति निर्धारित नियमों के अनुसार चुनाव से संबंधित शिकायतों को निपटाने के लिए व्यवस्था करेगी। राज्य कार्यकारिणी के निर्णयों के विरुद्ध अपीलों की सुनवाई करने और उनका निपटारा करने का अधिकार विधि के अनुसार राष्ट्रीय कार्यसमिति को होगा।
7. राज्य तथा जिला चुनाव अधिकारी के कार्यालय क्रमशः राज्य तथा जिला इकाइयों के मुख्यालयों में होंगे परन्तु संबंधित राज्य कार्यकारिणी अथवा जिला कार्यकारिणी की विशेष अनुमति से या राष्ट्रीय कार्यसमिति के निर्देश पर वे अपने कार्यालय अन्यत्र भी रख सकते हैं।
8. सभी चुनाव/निर्वाचन अधिकारी, राष्ट्रीय चुनाव/निर्वाचन अधिकारी के अधीन कार्य करेंगे। चुनावों के कार्यक्रमों व प्रक्रिया का निर्धारण राष्ट्रीय चुनाव/निर्वाचन अधिकारी राष्ट्रीय कार्यसमिति की सलाह से करेगा।
9. पार्टी के संविधान तथा उसमें उल्लिखित नियमों के अनुसार चुनावों को उचित प्रकार से संचालित करने के लिये समुचित निर्णय लेने का अधिकार राष्ट्रीय चुनाव/निर्वाचन अधिकारी को होगा।
10. यदि राष्ट्रीय कार्यसमिति को यह विश्वास हो जाए कि किसी चुनाव/निर्वाचन अधिकारी ने अपने कर्तव्य का पालन उचित प्रकार से नहीं किया है तो राष्ट्रीय कार्यसमिति अपनी सामान्य बैठक में तीन-चौथाई बहुमत से उस निर्वाचन अधिकारी को हटा देने में सक्षम होगी, परन्तु इस प्रकार की कोई कार्रवाई करने से पूर्व उस अधिकारी को उसके ऊपर लगाए गए आरोपों पर अपना पक्ष प्रस्तुत करने का अवसर प्रदान किया जायेगा।

(ख) मतदान :-

1. निर्वाचन अधिकारी मतदान केन्द्र के स्थान, दिन, तिथि, समय और प्रत्येक केन्द्र के अन्तर्गत क्षेत्र का निर्धारण तथा उनका प्रकाशन चुनाव की तारीख से पन्द्रह दिन पूर्व करेगा।
2. नामांकन पत्र प्रत्याशी द्वारा संबंधित निर्वाचन अधिकारी के सम्मुख प्रस्तुत किये जायेंगे। नामांकन पत्र निर्धारित प्रारूप में होंगे। वे छपे हुए या हस्तलिखित हो सकते हैं।

3. ऐसे प्रत्याशी, जिनके नामांकन पत्र वैध ठहराये गये हैं और वे नाम वापस लेना चाहते हैं तो वे नाम वापस लेने की लिखित सूचना/प्रार्थना पत्र निर्वाचन अधिकारी के समक्ष प्रस्तुत करेंगे ।
4. मतपत्र द्वारा चुनाव की पद्धति निम्न प्रकार होगी :-
 - (i) निर्वाचन अधिकारी पर मतदान की गोपनीयता बनाए रखने का दायित्व होगा ।
 - (ii) निर्वाचन अधिकारी को प्रत्याशी या उसके प्रतिनिधि को मतदान स्थल में प्रवेश करने तथा मतदान के निरीक्षण के लिए स्वीकृति देने का अधिकार होगा । निर्वाचन अधिकारी मतदाता को मतपत्र देने से पूर्व प्रत्येक मतपत्र के कोने में अपने संक्षिप्त हस्ताक्षर करेगा ।
 - (iii) मतदान समाप्त होने के तुरन्त बाद मतगणना प्रारंभ कर दी जायेगी तथा जब तक मतगणना पूरी नहीं हो जाती, यह कार्यवाही जारी रहेगी ।
 - (iv) मतगणना पूर्ण होते ही निर्वाचन अधिकारी प्रत्याशियों को प्राप्त मतों की घोषणा करेगा ।
5. हाथ उठाकर मतदान किये जाने की प्रणाली निम्न प्रकार होगी :-
 - (i) निर्वाचन अधिकारी मतदान आरंभ होने के समय की अधिसूचना जारी करेगा । यदि वह आवश्यक समझे तो इस समय को आधा घंटा बढ़ा सकता है ।
 - (ii) निर्वाचन अधिकारी मतदाताओं के मतदान स्थल में प्रवेश करते समय छानबीन/जांच कर सकता है ।
 - (iii) मतगणना के पश्चात निर्वाचन अधिकारी प्रत्याशियों के हस्ताक्षर परिणाम की लिखित घोषणा पर लेगा ।
6. पार्टी चुनावों के दौरान प्रत्याशी मतदाताओं को मतदान स्थल तक लाने के लिए न तो वाहनों का प्रयोग करेंगे और न ही अनुचित विधि से प्रचार करेंगे । इन प्रावधानों का उल्लंघन करने वाले प्रत्याशी का चुनाव अवैध हो जायेगा और उसके विरुद्ध अनुशासनात्मक कार्रवाई की जायेगी ।
7. संबंधित परिषद के सदस्यों की पहली बैठक संबंधित निर्वाचन अधिकारी द्वारा उसी की अध्यक्षता में आयोजित की जायेगी या फिर उसकी अनुपस्थिति में राष्ट्रीय कार्यसमिति द्वारा नियुक्त व्यक्ति उसकी अध्यक्षता करेगा । इस बैठक में ही निर्वाचित सदस्य संबंधित परिषद के अध्यक्ष और कार्यकारिणी के सदस्यों का चुनाव करेंगे ।

(ग) कार्यकारिणियों के चुनाव

1. किसी भी कार्यकारिणी के चुनाव में संबंधित परिषद के लिये सिर्फ अधीनस्थ परिषदों/समितियों द्वारा निर्वाचित सदस्य ही खड़े हो सकते हैं, जब तक कि विशेष परिस्थितियों में राष्ट्रीय अध्यक्ष द्वारा इस प्रतिबंध से छूट न दी गई हो।
2. नामांकन पत्र का प्रस्ताव और समर्थन संबंधित परिषद के सदस्य ही करेंगे लेकिन शर्त यह है कि कोई भी सदस्य पांच से अधिक प्रत्याशियों के नाम का प्रस्ताव नहीं कर सकता।
3. नामांकन पत्रों पर प्रस्तावित प्रत्याशियों की संहमति अंकित होगी।
4. मतदान गुप्त होगा तथा साधारण बहुमत के आधार पर होगा।
5. मतदाता संबंधित कार्यकारिणी के सदस्यों की संख्या के बराबर मतपत्र पर वोट अंकित कर सकता है, परन्तु प्रतिबंध यह होगा कि एक मतदाता किसी भी प्रत्याशी के पक्ष में एक से अधिक मत नहीं देगा।
6. यदि कोई मतदाता संबंधित कार्यकारिणी के चुने जाने वाले सदस्यों की संख्या से अधिक वोट मतपत्र पर अंकित करता है तो उसका मतपत्र अवैध घोषित कर दिया जायेगा।
7. ये नियम राष्ट्रीय परिषद व राष्ट्रीय कार्यकारिणी सहित सभी परिषदों, कार्यकारिणियों व समितियों के सदस्यों के चुनावों में भी लागू होंगे।

अनुच्छेद-22, चुनाव/निर्वाचन संबंधी विवाद

संबंधित जिला व राज्य कार्यकारिणियां, राष्ट्रीय कार्यसमिति द्वारा निर्धारित नियमों के अनुसार चुनाव संबंधी शिकायतों को निपटाने की व्यवस्था करेंगी। पार्टी की जिला कार्यकारिणी के निर्णयों के विरुद्ध अपीलों की सुनवाई करने और उनका निपटारा करने का अधिकार विधि के अनुसार संबंधित राज्य कार्यकारिणी को तथा राज्य कार्यकारिणी के निर्णयों के विरुद्ध अपीलों की सुनवाई करने और उनका निपटारा करने का अधिकार राष्ट्रीय कार्यसमिति को होगा। राष्ट्रीय कार्यसमिति का निर्णय अन्तिम व बाध्यकारी होगा।

अनुच्छेद-23, रिक्त स्थान व उनकी पूर्ति

क) यदि कार्यकारिणी/परिषद/समिति/कार्यसमिति का कार्यकाल 6 माह से अधिक शेष है, तो ऐसे में :-

1. यदि किसी भी पद के लिए कोई स्थान रिक्त होगा तो उस स्थान के लिए चुनाव/नामांकन उस पद के लिए नियत प्रक्रिया द्वारा ही होगा।
2. नया चुनाव संबंधित कार्यकारिणी/परिषद/समिति/कार्यसमिति के शेष कार्यकाल तक के लिए ही होगा।

ख) यदि कार्यकारिणी/परिषद/समिति/कार्यसमिति का कार्यकाल छः माह से कम शेष है तो उस पद (अध्यक्ष पद छोड़ कर) के लिए नामांकन संबंधित इकाई का अध्यक्ष कर सकता है। अध्यक्ष का नामांकन उच्चतर इकाई की कार्यकारिणी करेगी।

अनुच्छेद-24, राष्ट्रीय अध्यक्ष

(क) चुनाव

1. राष्ट्रीय अध्यक्ष का चुनाव राष्ट्रीय कार्यसमिति द्वारा नियुक्त निर्वाचन अधिकारी इस संबंध में बनाए गये नियमों के अनुसार करायेगा। वह निर्धारित नियमों के अनुसार मतदान अधिकारी नियुक्त करेगा और मतदान की व्यवस्था करेगा।
2. राष्ट्रीय अध्यक्ष का चुनाव राष्ट्रीय परिषद के सदस्य करेंगे।
3. निर्वाचन अधिकारी विस्तृत रूप से पारदर्शिता बनाए रखेगा तथा चुनाव के सामान्य नियमों का पालन करेगा। इस हेतु वह निर्वाचन कार्यक्रम निर्वाचन के 15 दिन पूर्व प्रकाशित करेगा तथा इसी कार्यक्रमानुसार चुनाव की व्यवस्था करेगा।

(ख) प्रक्रिया

1. राष्ट्रीय परिषद में संयुक्त रूप से कोई भी 10 सदस्य जिला परिषदों व राज्य परिषदों से निर्वाचित राष्ट्रीय परिषद के किसी भी सदस्य का नाम पार्टी अध्यक्ष पद हेतु प्रस्तावित कर सकते हैं।
2. नामांकन पत्र सक्षम चुनाव/निर्वाचन अधिकारी के पास निर्धारित नियमों के अनुसार नियत तिथि तक पहुँच जाने चाहिए।

3. निर्वाचन अधिकारी नामांकन पत्रों की जाँच करेंगे तथा नियमानुसार सही पाये गये उम्मीदवारों के नाम प्रकाशित कर देंगे।
4. नामांकन वापसी के बाद यदि चुनाव आवश्यक हुआ तो पूर्व निर्धारित कार्यक्रम के अनुसार नियत स्थान पर नियत तारीख (जो सामान्यतः चुनाव में खड़े उम्मीदवारों के नामों के अन्तिम प्रकाशन के कम से कम 7 दिन बाद ही होगी) को मतदान होगा।

(ग) कार्यकाल

राष्ट्रीय अध्यक्ष का कार्यकाल सामान्यतः तीन वर्ष का होगा। विशेष परिस्थितियों में यदि राष्ट्रीय परिषद चाहे तो वह राष्ट्रीय अध्यक्ष का कार्यकाल एक वर्ष के लिए बढ़ा सकती है।

(घ) कार्य व अधिकार :-

1. चुनाव के बाद राष्ट्रीय अध्यक्ष पार्टी की राष्ट्रीय कार्यसमिति, राष्ट्रीय कार्यकारिणी, राष्ट्रीय परिषद एवं पार्टी के पूर्ण/विशेष अधिवेशन के साथ ही पार्टी की राष्ट्रीय स्तर के समस्त अधिवेशनों व बैठकों का सभापतित्व करेगा।
2. जब राष्ट्रीय कार्यकारिणी/कार्यसमिति की बैठक/अधिवेशन नहीं हो रहा होगा तो वह राष्ट्रीय कार्यकारिणी/कार्यसमिति के समस्त अधिकारों का प्रयोग नियमानुसार करेगा तथा ऐसे कार्यों को राष्ट्रीय कार्यकारिणी/कार्यसमिति के आगामी बैठक/अधिवेशन में पारित करायेगा।
3. राष्ट्रीय अध्यक्ष को यह अधिकार होगा कि वह विशेष परिस्थिति में या उस अवधि में, जिसमें वह कार्य करने में असमर्थ है, राष्ट्रीय कार्यकारिणी के सदस्यों में से किसी एक को (उस अवधि के लिए, जिसमें वह कार्य करने में असमर्थ है) कार्यकारी अध्यक्ष नियुक्त कर सकता है।
4. राष्ट्रीय कार्यसमिति/राष्ट्रीय कार्यकारिणी/राष्ट्रीय परिषद की बैठक बुलाने का अधिकार राष्ट्रीय अध्यक्ष को होगा, किन्तु राष्ट्रीय कार्यसमिति/राष्ट्रीय कार्यकारिणी/राष्ट्रीय परिषद के 50 प्रतिशत सदस्यों की मांग पर राष्ट्रीय अध्यक्ष इनकी बैठक बुलाने को बाध्य होगा।

(ड) रिक्त स्थान व उसकी पूर्ति :-

1. किसी संकटकालीन परिस्थिति के कारण रिक्त हुए राष्ट्रीय अध्यक्ष के स्थान पर चुनाव नियत प्रक्रिया द्वारा ही होगा।
2. इसके लिए राष्ट्रीय कार्यकारिणी तारीख निश्चित करेगी, जो किसी भी दशा में स्थान रिक्त होने से छः माह से अधिक नहीं होगी।
3. नए अध्यक्ष का चुनाव हो जाने तक राष्ट्रीय कार्यकारिणी अपने सदस्यों में से किसी एक को कार्यवाहक अध्यक्ष चुनेगी।

अनुच्छेद-25, केन्द्रीय संसदीय बोर्ड

1. राष्ट्रीय कार्यसमिति संसद व विधानमंडलों में पार्टी की गतिविधियों के नियंत्रण तथा समन्वय के लिए संसदीय बोर्ड का गठन करेगी। संसदीय बोर्ड में कुल 7 सदस्य होंगे।
2. राष्ट्रीय अध्यक्ष संसदीय बोर्ड का अध्यक्ष होगा व प्रधान महासचिव संसदीय बोर्ड का सचिव होगा। लोकसभा व राज्यसभा में पार्टी के संसदीय दल के नेता (यदि हैं तो) बोर्ड के सदस्य होंगे।
3. अन्य सदस्यों का नामांकन राष्ट्रीय कार्यसमिति करेगी। यदि लोकसभा व राज्यसभा में पार्टी के संसदीय दल के नेता नहीं हैं तो उनके स्थान पर भी मनोनयन राष्ट्रीय कार्यसमिति करेगी।
4. संसद व विधानमंडलों के चुनावों में पार्टी के अधिकृत प्रत्याशियों को अधिकार पत्र राष्ट्रीय अध्यक्ष के हस्ताक्षरों से ही दिये जायेंगे।
5. संसद, विधानसभाओं एवं विधान परिषदों के लिए केन्द्रीय संसदीय बोर्ड ही प्रत्याशियों का अन्तिम चयन करेगा।
6. संसदीय बोर्ड के सभी निर्णय सामूहिक रूप से लिए जाएंगे तथा मत भिन्नता की स्थिति में बहुमत के निर्णय ही समस्त सदस्यों को मान्य होंगे।

अनुच्छेद-26, राज्य संसदीय बोर्ड

1. राज्य कार्यकारिणी नियमानुसार राज्य संसदीय बोर्ड का गठन करेगी।
2. राज्य संसदीय बोर्ड की अधिकतम सदस्य संख्या 7 होगी, जिनमें राज्य अध्यक्ष सभापति होगा व उस राज्य का मुख्य महासचिव बोर्ड का सचिव होगा। संबंधित विधानसभा एवं विधान परिषद में पार्टी के विधायक दल के नेता बोर्ड के सदस्य होंगे।
3. अन्य सदस्यों का नामांकन राज्य कार्यकारिणी करेगी। यदि संबंधित विधानसभा एवं विधान परिषद में पार्टी के विधायक दल के नेता नहीं हैं, तो उनके स्थान पर भी मनोनयन संबंधित राज्य कार्यकारिणी करेगी।
4. राज्य संसदीय बोर्ड संबंधित राज्य से संसदीय तथा विधानमण्डल चुनावों के लिए प्रत्याशियों के 5-5 नामों का पैनल बनाकर केंद्रीय संसदीय बोर्ड को प्रस्तावित करेगा।
5. प्रदेश संसदीय बोर्ड संबंधित प्रदेश के अन्तर्गत विभिन्न स्थानीय निकायों, सहकारी समितियों तथा अन्य स्थानों के लिए राष्ट्रीय कार्यसमिति की अनुमति से प्रत्याशियों का चयन करेगा।

अनुच्छेद-27, चुनाव घोषणा पत्र समिति

1. राष्ट्रीय कार्यसमिति संसदीय चुनाव से पूर्व चुनाव घोषणापत्र समिति गठित करेगी, जो राष्ट्रीय चुनाव घोषणापत्र तैयार करेगी। इसे राष्ट्रीय कार्यसमिति के अनुमोदन के पश्चात घोषित किया जायेगा।
2. विधानमण्डलों के चुनावों से पूर्व संबंधित राज्य की प्रदेश कार्यकारिणी प्रदेश स्तर की समिति का गठन राज्य स्तर पर करेगी जो राज्य का चुनाव घोषणा-पत्र तैयार करेगी। इसे राष्ट्रीय कार्यसमिति के अनुमोदन के पश्चात घोषित किया जायेगा।

अनुच्छेद-28, मोर्चे, प्रकोष्ठ एवं सम्बद्ध संगठन

1. महिला, युवा, किसान, अल्पसंख्यक, अनुसूचित जाति तथा जनजाति, मजदूर, शिक्षक, अधिवक्ता, छात्र, पिछड़ा वर्ग, व्यापारी, पूर्व सैनिक एवं ऐसे अन्य मोर्चे, प्रकोष्ठ एवं सम्बद्ध संगठन, जिनका गठन करना राष्ट्रीय कार्यसमिति की दृष्टि में आवश्यक हो, उनका गठन राष्ट्रीय कार्यसमिति द्वारा निर्धारित नियमों के अन्तर्गत किया जायेगा।

2. इन संगठनों के अध्यक्ष स्तरीय कार्यकारिणी के विशेष आमंत्रित सदस्य होंगे ।
3. इन संगठनों के पदाधिकारी व कार्यकारिणी सदस्य पार्टी के सक्रिय सदस्य ही हो सकेंगे ।
4. राष्ट्रीय अध्यक्ष राष्ट्रीय कार्यसमिति की सलाह से पार्टी के संबद्ध संगठनों (मोर्चों, प्रकोष्ठों आदि) के राष्ट्रीय अध्यक्षों, राष्ट्रीय पदाधिकारियों व राष्ट्रीय कार्यकारिणियों के सदस्यों व राज्य अध्यक्षों का मनोनयन करेगा । राज्य के पदाधिकारियों व राज्य कार्यकारिणियों के सदस्यों का मनोनयन संबंधित राज्य अध्यक्ष राष्ट्रीय अध्यक्ष के अनुमोदन से करेंगे ।
5. जिला स्तरीय सम्बद्ध संगठनों के अध्यक्षों का मनोनयन पार्टी के राज्य अध्यक्षों द्वारा सम्बद्ध संगठन के राज्य अध्यक्ष की संस्तुति से किया जायेगा व सम्बद्ध संगठनों की जिला कार्यकारिणियों का मनोनयन संबंधित संगठन के जिला अध्यक्ष पार्टी के जिला अध्यक्ष की सहमति व राज्य अध्यक्ष के अनुमोदन से कर सकेंगे ।
6. राष्ट्रीय अध्यक्ष यदि इस बात से संतुष्ट हो कि कोई सम्बद्ध संगठन पार्टी के हितों के अनुकूल कार्य नहीं कर रहा है तो ऐसे सम्बद्ध संगठन को पार्टी का राष्ट्रीय अध्यक्ष कभी भी भंग कर सकता है तथा उसके किसी भी पदाधिकारी या सदस्य को पद से हटा सकता है ।

अनुच्छेद-29, अनुशासनात्मक कार्रवाई

(क) अनुशासन समितियां :-

1. अनुशासन भंग करने के प्रकरणों को निपटाने के लिए राष्ट्र स्तर, राज्य स्तर एवं जिला स्तर पर अनुशासन समितियों का गठन किया जायेगा । गठन निम्न प्रकार से होगा :-
 (क) राष्ट्र स्तर पर ऐसी समिति का गठन राष्ट्रीय कार्यसमिति करेगी ।
 (ख) राज्य स्तर पर ऐसी समिति का गठन राज्य कार्यकारिणी राष्ट्रीय कार्यसमिति की सहमति से करेगी ।
 (ग) जिला स्तर पर ऐसी समिति का गठन जिला कार्यकारिणी राज्य कार्यकारिणी की सहमति से करेगी ।
2. राष्ट्रीय कार्यसमिति अनुशासन भंग के प्रकरणों के निस्तारण हेतु अनुशासनात्मक कार्रवाई करने के लिए केन्द्रीय स्तर पर एक केन्द्रीय अनुशासन समिति का गठन करेगी, जिसमें अध्यक्ष सहित अधिकतम 5 सदस्य होंगे । राज्य कार्यकारिणी केन्द्रीय

अनुशासन समिति की सहमति/अनुमोदन से राज्य अनुशासन समिति का गठन करेगी, जिसमें अध्यक्ष सहित अधिक से अधिक 3 सदस्य होंगे। केन्द्रीय अनुशासन समिति राज्य अनुशासन समिति के निर्णयों के विरुद्ध अपीलों का निस्तारण और ऐसे प्रकरणों पर भी निर्णय करेगी जो पार्टी के सक्षम महासचिव द्वारा उसे प्रेषित किये जायेंगे।

3. निम्नलिखित प्रतिबंधों के साथ केन्द्रीय अनुशासन समिति, राज्य/जिला अनुशासन समिति अपने अधीनस्थ किसी भी पार्टी इकाई या उसके किसी सदस्य अथवा पदाधिकारियों के विरुद्ध, जिसने अनुशासन की अवहेलना की हो, अनुशासनात्मक कार्रवाई कर सकती है।

(क) केन्द्रीय अनुशासन समिति किसी भी इकाई या सदस्य (राष्ट्रीय परिषद के सदस्य सहित) के विरुद्ध कार्रवाई कर सकती है, किन्तु राष्ट्रीय परिषद के विरुद्ध नहीं।

(ख) राज्य अनुशासन समिति केवल अधीनस्थ इकाइयों तथा उन सदस्यों के विरुद्ध ही कार्रवाई कर सकती है, जो राष्ट्रीय परिषद एवं संसद के सदस्य न हों। राष्ट्रीय परिषद तथा संसद के सदस्यों के विरुद्ध अनुशासनात्मक कार्रवाई करने के लिए राज्य अनुशासन समिति राष्ट्रीय अनुशासन समिति को सिफारिश कर सकती है। जिला अनुशासन समिति केवल अधीनस्थ इकाइयों तथा जिला इकाई के विरुद्ध कार्रवाई कर सकती है, परन्तु उसे राष्ट्रीय परिषद, राज्य परिषद या विधानमंडल सदस्य अथवा संसद सदस्य के विरुद्ध कार्रवाई करने का अधिकार नहीं होगा। ऐसे प्रकरणों में वह केवल सक्षम अधिकारी/समिति को अनुशासनात्मक कार्रवाई करने के लिए सिफारिश कर सकती है।

ख) अनुशासन समिति की कार्यप्रणाली :-

(1) अनुशासन समिति को अनुशासनहीनता की सूचना प्राप्त होती है, तो:-

(क) उसका विवरण इस कार्य के निमित्त पंजिका में अंकित किया जायेगा।

(ख) इस प्रकार का प्रकरण अंकित होने पर उस व्यक्ति को नोटिस निर्गत किया जायेगा जिसके विरुद्ध आपत्ति दर्ज की गई है या कार्रवाई प्रारंभ की गई है तथा उसे नोटिस प्राप्त होने के पश्चात 15 दिन का समय अपना पक्ष प्रस्तुत करने के लिए दिया जायेगा।

(2) इस प्रकार का नोटिस संबंधित सदस्य को पंजीकृत पावती पत्र द्वारा या व्यक्तिगत रूप से (यदि संभव हो) प्रेषित किया जायेगा।

- (3) इस प्रकार के नोटिस का उत्तर प्राप्त होने पर अनुशासन समिति उसका अवलोकन करने व आवश्यक जांच करने के पश्चात आरोप बिन्दु निर्धारित करेगी तथा संबंधित पक्षों से पूछ-ताछ करेगी और साक्ष्य लेगी।
- (4) संबंधित पक्षों को जैसी भी स्थिति हो, प्रमाण/साक्ष्य प्रस्तुत करने के लिए समय दिया जायेगा। संबंधित पक्षों का यह दायित्व होगा कि वह अपेक्षित साक्ष्य निर्धारित समय में प्रस्तुत करें।
- (5) प्रमाण उपलब्ध कराने का कार्य समाप्त हो जाने के पश्चात संबंधित पक्षों के तर्कों को सुना जायेगा और तत्पश्चात समिति पर्याप्त अन्वेषण के उपरान्त प्रकरण पर अपना निर्णय लिखित रूप में देगी तथा इसकी सूचना संबंधित पक्षों को प्रेषित की जायेगी।
- (6) अनुशासन समिति किसी भी पक्ष के पहल करने पर या स्वतः संज्ञान लेकर किसी भी सदस्य को पत्र जारी कर सकती है, जिसमें उसे साक्ष्य के साथ उपस्थित होने या कोई अभिलेख प्रस्तुत करने के लिए कहा जा सकता है।
- (7) यदि कोई सदस्य, जिसके विरुद्ध प्रकरण दर्ज हुआ है, नोटिस दिये जाने के पश्चात अनुपस्थित रहता है तो अनुशासन समिति दूसरा नोटिस जारी करेगी। यदि फिर भी वह सदस्य उपस्थित नहीं होता है, तो संबंधित सदस्य के विरुद्ध एकपक्षीय कार्रवाई (यदि अनुशासन समिति आवश्यक समझती हो तो) की जा सकती है, परन्तु प्रतिबंध यह है कि एक पक्षीय कार्रवाई करने की स्थिति में प्रकरण का निर्णय होने से पूर्व यदि संबंधित सदस्य उपस्थित हो जाता है तथा समिति को यह संतुष्ट कर देता है कि समिति के सम्मुख प्रस्तुत होने में वह किसी उचित कारण से असमर्थ रहा है (जान-बूझकर नहीं), तो समिति एकपक्षीय कार्रवाई को निरस्त कर सकती है और प्रकरण की सुनवाई पुनः आरंभ कर सकती है।

(ग) निलंबन का अधिकार

- (1) अनुशासन भंग किये जाने का प्रारंभिक प्रमाण उपलब्ध होने पर पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष राष्ट्रीय परिषद के अतिरिक्त किसी भी इकाई को भंग कर सकते हैं, परन्तु अध्यक्ष को चाहिए कि वह ऐसे प्रकरण को राष्ट्रीय कार्यसमिति की आगामी बैठक में स्वीकृति हेतु प्रस्तुत कर दें। यदि राष्ट्रीय अध्यक्ष इस बात से संतुष्ट है कि पार्टी के किसी सदस्य/सदस्यों या पदाधिकारी/पदाधिकारियों का आचरण पार्टी विरोधी है तो राष्ट्रीय अध्यक्ष ऐसे सदस्य/सदस्यों या पदाधिकारी/पदाधिकारियों

को तत्काल प्रभाव से पार्टी से निलंबित एवं निष्कासित कर सकता है, किन्तु राष्ट्रीय अध्यक्ष को अपने इस निर्णय को कार्यसमिति की आगामी बैठक में अनुमोदित कराना होगा।

- (2) अनुशासन भंग किये जाने का प्रारंभिक प्रमाण उपलब्ध होने पर पार्टी की राज्य शाखाओं के अध्यक्ष (राज्य परिषद के अतिरिक्त) राज्य में किसी भी अधीनस्थ इकाई को भंग कर सकते हैं तथा अपने राज्य में पार्टी के किसी भी सदस्य को तत्काल निलंबित कर सकते हैं, परन्तु किसी संसद सदस्य, राष्ट्रीय कार्यसमिति/राष्ट्रीय कार्यकारिणी/राष्ट्रीय परिषद के सदस्य व राष्ट्रीय अध्यक्ष को निलंबित नहीं कर सकते। इस प्रकार के निलंबन के समस्त प्रकरण और तत्पश्चात उन पर लिए गये निर्णय की आख्या निलंबन या निर्णय के एक सप्ताह के अन्दर पार्टी के केन्द्रीय कार्यालय को प्रेषित की जायेगी, लेकिन राज्य शाखा के अध्यक्ष को राज्य कार्यकारिणी की आगामी बैठक में यह प्रकरण रखना होगा तथा अनुशासनात्मक कार्रवाई के मामलों में, जिनमें निलंबन की आज्ञा प्रदान की गई हो, एक महीने के अंदर निस्तारण के लिए पहल और कार्यवाही करनी होगी।

(घ) अनुशासन भंग की स्थितियां

निम्न दशाओं में अनुशासन भंग माना जायेगा :-

1. भारत के संविधान के विरुद्ध कोई आचरण या ऐसा अपराध, जो देशद्रोह की श्रेणी में आता है।
2. पार्टी के कार्यक्रम, नीतियों एवं निर्णयों के विरुद्ध कार्य करना अथवा प्रचार करना।
स्पष्टीकरण : पार्टी के किसी निर्णय अथवा कार्यक्रम के विरुद्ध पार्टी के किसी भी सदस्य को अपने विचार केवल पार्टी के मंच की परिधि में ही व्यक्त करने की स्वतंत्रता होगी।
3. किसी भी सक्षम पदाधिकारी के निर्देश का उल्लंघन करना, पार्टी के नियमों की अवहेलना करना, कोष का दुरुपयोग करना, सदस्यों की भर्ती तथा पार्टी के चुनाव में भ्रष्ट तरीके काम में लाना।
4. अनधिकृत रूप से पार्टी के नाम पर धन एकत्र करना।
5. अनैतिक आचरण, कालाबाजारी, रिश्वतखोरी, भ्रष्टाचार, जालसाजी या गबन के लिए दोषी पाया जाना।

6. पार्टी के उद्देश्यों के विरुद्ध काम करना।
7. योजनानुसार ऐसा कार्य करना, जिससे पार्टी की प्रतिष्ठा को आघात पहुंचता हो या पार्टी इकाइयों या पदाधिकारियों के विरुद्ध या पार्टी की नीतियों या कार्यक्रमों के विरुद्ध प्रचार करना।
8. पार्टी के किसी सदस्य के विरुद्ध सार्वजनिक रूप से गंभीर आरोप लगाना।
9. किसी भी प्रकार का भ्रामक प्रचार करना।

(ड) नोटिस

1. सामान्यतः किसी भी सदस्य अथवा इकाई पर लगाए गये आरोपों के स्पष्टीकरण के लिए कम से कम दो सप्ताह का नोटिस दिये बिना आरोपित सदस्य के विरुद्ध कोई भी अनुशासनात्मक कार्रवाई नहीं की जायेगी।
2. अनुशासनात्मक कार्रवाई करने के उद्देश्य से नोटिस तभी निर्गत किया जा सकता है, जब सक्षम अधिकारी यह समझता हो कि संबंधित इकाई या सदस्य के विरुद्ध अनुशासनहीनता का प्रथम द्रष्टया प्रमाण है।
3. किसी भी स्तर पर अनुशासनात्मक कार्रवाई प्रक्रिया आरंभ होने की तिथि से 2 महीने के अंदर पूर्ण करनी होगी।

(च) दण्ड

1. अनुशासन भंग करने का दण्ड पार्टी इकाई की दशा में उसे भंग किये जाने के रूप में दिया जा सकता है तथा अनुशासन भंग करने वाले सदस्य/सदस्यों को निलंबित या निष्कासित किया जा सकता है। आवश्यकता पड़ने पर निलंबित या निष्कासित सदस्य/सदस्यों के विरुद्ध कानूनी कार्रवाई भी की जा सकती है।
2. साधारण एवं सक्रिय सदस्य के प्रकरणों में उसे सदस्यता से पृथक करने के साथ-साथ एक निश्चित कालखंड के लिए सदस्यता के लिये अयोग्य घोषित किया जा सकता है।
3. कोई भी सदस्य, जिसके विरुद्ध अनुशासनात्मक कार्रवाई की गई हो, यदि किसी स्वायत्त संस्था, विधानमंडल, संसद या स्थानीय निकाय का सदस्य है, तो उसे ऐसे पद से भी त्याग-पत्र देने के लिए बाध्य किया जा सकता है।

(छ) अनुशासनात्मक कार्रवाई की आख्याएं

यदि जिला अथवा राज्य अनुशासन समिति में से किसी समिति ने अनुशासनात्मक कार्रवाई की है, तो उसके निर्णय की सूचना एक सप्ताह के अन्तर्गत क्रमशः राज्य कार्यकारिणी तथा राष्ट्रीय कार्यकारिणी को दिया जाना आवश्यक है।

(ज) अपील

- (1) जिला अनुशासन समिति के निर्णय के विरुद्ध अपील राज्य अनुशासन समिति को तथा राज्य अनुशासन समिति के निर्णय के विरुद्ध अपील केंद्रीय अनुशासन समिति को की जायेगी।
- (2) केंद्रीय अनुशासन समिति की कार्रवाई को राष्ट्रीय कार्यसमिति में प्रस्तुत किया जा सकेगा तथा इस संबंध में राष्ट्रीय कार्यसमिति का निर्णय अन्तिम होगा।
- (3) पार्टी की किसी भी इकाई या सदस्य को, जिसके विरुद्ध राज्य अनुशासन समिति द्वारा अनुशासनात्मक कार्रवाई की गई है, आदेश प्राप्ति के तीन सप्ताह के अंदर राज्य अनुशासन समिति के निर्णय के विरुद्ध केंद्रीय अनुशासन समिति के पास अपील करने का अधिकार होगा। अपील की सुनवाई के दौरान पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष अपील पर निर्णय होने तक कार्रवाई को स्थगित कर सकते हैं।

(झ) अपील पर कार्यवाही

- (1) केंद्रीय अनुशासन समिति को अपील प्राप्त होने पर उसे इस प्रयोजनार्थ रखी गयी पंजिका में अंकित किया जायेगा तथा अपील की सुनवाई के लिए तिथि निश्चित की जायेगी।
- (2) अपील के साथ अपीलकर्ता अपने वर्तमान पते की भी सूचना समिति को प्रेषित करेगा।
- (3) इस प्रकार उस पते पर भेजा गया कोई भी नोटिस उसको दी गयी पर्याप्त सूचना समझा जायेगा।
- (4) अपीलकर्ता को सुनवाई की तिथि व्यक्तिगत रूप से या पावती कार्ड के साथ पंजीकृत डाक द्वारा प्रेषित की जायेगी।
- (5) अपील की सुनवाई की तिथि से पूर्व केन्द्रीय अनुशासन समिति संबंधित राज्य अनुशासन समिति से अपील संबंधी पत्रावली मंगा लेगी।

- (6) यदि आवश्यक हो, तो राज्य अनुशासन समिति, जिसके निर्णय के विरुद्ध अपील की गई हो, का तर्क भी उसके प्रतिनिधि के माध्यम से सुना जायेगा।
- (7) सभी संबंधित पक्षों के तर्कों को सुनने के पश्चात तथा संबंधित साक्ष्यों का विश्लेषण करने के पश्चात अपील पर निर्णय उसी दिन दिया जा सकता है या उसके लिए अन्य तिथि निश्चित की जा सकती है। निर्णय के उपरान्त उसकी प्रति संबंधित पक्षों को जारी की जायेगी।
- (8) स्पष्ट प्रावधान न होने की स्थिति में केन्द्रीय अनुशासन समिति प्राकृतिक न्याय, औचित्य एवं विवेक के अनुसार जैसा उचित समझे, कार्रवाई कर सकती है।

अनुच्छेद-30, सहयोग राशि

पार्टी के विभिन्न स्तरों के पदाधिकारियों व कार्यकारिणी के सदस्यों को निम्नवत सहयोग राशि अदा करनी होगी :-

1	राष्ट्रीय कार्यकारिणी/कार्यसमिति के पदाधिकारी	प्रतिवर्ष	10000.00	रुपये
2	राष्ट्रीय कार्यकारिणी के सदस्य	प्रतिवर्ष	5000.00	रुपये
3	राज्य कार्यकारिणी के पदाधिकारी	प्रतिवर्ष	5000.00	रुपये
4	राज्य कार्यकारिणी के सदस्य	प्रतिवर्ष	2000.00	रुपये
5	जिला कार्यकारिणी के पदाधिकारी	प्रतिवर्ष	1000.00	रुपय
6	जिला कार्यकारिणी के सदस्य	प्रतिवर्ष	500.00	रुपये
7	विधानसभा क्षेत्र कार्यकारिणी के पदाधिकारी	प्रतिवर्ष	500.00	रुपये
8	विधानसभा क्षेत्र कार्यकारिणी के सदस्य	प्रतिवर्ष	200.00	रुपय

नोट :1 यदि कोई पदाधिकारी या सदस्य उपरोक्त सहयोग राशि का भुगतान करने में असमर्थ है तो वह अन्य व्यक्तियों से उतनी राशि का चंदा पार्टी कोष में जमा करवायेगा, जिसके लिये पार्टी की रसीद जारी की जायेगी ।

2 निश्चित अवधि के अन्दर निर्धारित सहयोग राशि का भुगतान न करने वाले सदस्यों/पदाधिकारियों की सदस्यता स्वतः समाप्त हो जायेगी ।

3 राष्ट्रीय कार्यसमिति आवश्यकतानुसार सहयोग राशि के नियमों में बदलाव कर सकती है ।

अनुच्छेद-31, चंदे से प्राप्त धन/सदस्यता शुल्क का वितरण

पार्टी को किसी भी स्तर पर मिलने वाला शुल्क/ चंदा पार्टी की राष्ट्रीय इकाई के बैंक खाते में जमा कराया जायेगा। तत्पश्चात सदस्यता शुल्क व चंदे से प्राप्त धन को पार्टी की विभिन्न इकाइयों में राष्ट्रीय कार्यसमिति द्वारा निर्धारित नियमों के अनुसार वितरित किया जायेगा।

अनुच्छेद-32, बैंक खाता/खाते

पार्टी की विधानसभा इकाई, जिला इकाई, राज्य इकाई व राष्ट्रीय इकाई के बैंक खाते किसी भी राष्ट्रीय या अन्तर्राष्ट्रीय बैंक में राष्ट्रीय कार्यसमिति की लिखित अनुमति के बाद खोले जा सकते हैं, जो संबंधित इकाई के अध्यक्ष, प्रधान महासचिव/महासचिव/सचिव व कोषाध्यक्ष के संयुक्त हस्ताक्षरों द्वारा खोले जाएंगे तथा खाते का परिचालन उपरोक्त में से किन्हीं दो के संयुक्त हस्ताक्षरों द्वारा होगा।

अनुच्छेद-33, पार्टी के वित्तीय लेखे

पार्टी के आय-व्यय का पूर्ण विवरण रखा जायेगा। पार्टी अपने वित्तीय लेखों के रख-रखाव में आयोग द्वारा समय-समय पर जारी अनुदेशों का पालन करेगी तथा पार्टी का फंड राजनीतिक कार्यों के लिए ही इस्तेमाल किया जायेगा।

पार्टी का लेखा परीक्षण सी0 ए0 जी0 के पैनल में शामिल आडिटर से कराया जायेगा। पार्टी प्रत्येक वित्त वर्ष की समाप्ति के 6 माह के भीतर भारत चुनाव आयोग को वार्षिक वित्तीय विवरण प्रस्तुत करेगी।

अनुच्छेद-34, बैठकों की सूचना

विधानसभा क्षेत्र कार्यकारिणी/जिला कार्यकारिणी की बैठक 7 दिन की पूर्व सूचना पर, राज्य कार्यकारिणी की बैठक 15 दिन की पूर्व सूचना पर तथा राष्ट्रीय कार्यकारिणी की बैठक 21 दिन की पूर्व सूचना पर आहूत की जा सकेगी। विशेष परिस्थितियों में बैठक अल्प सूचना पर भी बुलाई जा सकती है।

अनुच्छेद-35, पदाधिकारियों के अधिकार एवं कर्तव्य

पार्टी की विभिन्न इकाइयों में पार्टी के पदाधिकारियों के अधिकार एवं कर्तव्य निम्नलिखित होंगे :-

(क) अध्यक्ष :-

1. नियमानुसार स्तरीय बैठकों की अध्यक्षता करना।
2. पूर्ण अधिवेशन/विशेष अधिवेशन /राष्ट्रीय परिषद/राष्ट्रीय कार्यकारिणी /राष्ट्रीय कार्यसमिति द्वारा बनाये गये नियमों एवं पार्टी संविधान द्वारा निर्धारित नीतियों का पालन व अनुसरण तथा निर्देशन करना।
3. स्तरीय परिषदों तथा कार्यकारिणियों के लिए सदस्यों का नामांकन करना।

(ख) उपाध्यक्ष :-

उपाध्यक्ष अध्यक्ष के सहायक का कार्य करेंगे तथा अध्यक्ष की अनुपस्थिति में अध्यक्ष के कर्तव्यों एवं अधिकारों का निर्वहन करेंगे।

(ग) प्रधान महासचिव/मुख्य महासचिव :-

प्रधान /मुख्य महासचिव इस संविधान व पार्टी के नियमों के अनुसार अपने अधिकारों का प्रयोग करेंगे तथा अध्यक्ष/कार्यकारिणी/कार्यसमिति द्वारा निर्देशित कार्यों को भी करेंगे। स्तरीय बैठकों की व्यवस्था करना व उनकी कार्यवाही रखना तथा स्तरीय कार्यालयों की व्यवस्था देखना और इस संबंध में संविधान सम्मत निर्देश देना इनका मुख्य कार्य होगा। जिला व विधानसभा कार्यकारिणी में महासचिव तथा प्राथमिक व मतदान केंद्र समिति में सचिव के अधिकार एवं कर्तव्य प्रधान/मुख्य महासचिव की तरह ही होंगे।

(घ) महासचिव/सचिव/उपसचिव :-

महासचिव/सचिव/उपसचिव, प्रधान /मुख्य महासचिव के सहायक के रूप में कार्य करेंगे। साथ ही कार्यकारिणी, अध्यक्ष, उपाध्यक्ष के निर्देशानुसार भी कार्य करेंगे। जिला व विधानसभा कार्यकारिणी में महासचिव तथा प्राथमिक व मतदान केंद्र समिति में सचिव के अधिकार एवं कर्तव्य प्रधान/मुख्य महासचिव की तरह ही होंगे।

(ड) प्रवक्ता :-

प्रवक्ता मीडिया के समक्ष पार्टी के विचारों को रखेंगे ।

(च) कोषाध्यक्ष :-

कोषाध्यक्ष पार्टी के स्तरीय कोष का व्यवस्थापक होगा और समस्त पूंजी विनियोग, आमदनी तथा खर्चों का ठीक-ठीक ब्योरा रखेंगे तथा पार्टी की उच्च इकाई को उसके निर्देशानुसार पूंजी विनियोग, आमदनी तथा खर्चों का विवरण भेजेंगे ।

अनुच्छेद-36, विशेष आमंत्रित सदस्य

पार्टी के पूर्ण/विशेष अधिवेशन व विभिन्न परिषदों के सम्मेलन में संबंधित अध्यक्ष विशिष्ट व्यक्तियों को विशेष आमंत्रित सदस्य के रूप में बुला सकता है, जिनका पार्टी का सदस्य होना अनिवार्य नहीं होगा किन्तु इनकी अधिकतम संख्या संबंधित परिषद की कुल संख्या के 5 प्रतिशत से अधिक नहीं हो सकती। आमंत्रित सदस्य अध्यक्ष की अनुमति से अपने विचार रख सकते हैं, किन्तु मतदान में भाग नहीं ले सकते ।

अनुच्छेद-37, प्रभारी

पार्टी के संगठन विस्तार के लिये राष्ट्रीय अध्यक्ष राज्यों में, राज्य अध्यक्ष जिलों व जिला अध्यक्ष विधानसभा क्षेत्रों में किसी भी सक्रिय सदस्य को प्रभारी नियुक्ति कर सकते हैं । प्रभारी संबंधित अध्यक्ष व कार्यकारिणी को आवश्यक सुझाव देंगे तथा स्वयं को नियुक्त करने वाले अध्यक्ष को अपनी इकाई की प्रगति रिपोर्ट देंगे । प्रभारी संबंधित इकाई की बैठकों में तो भाग लेंगे किन्तु मताधिकार का प्रयोग नहीं करेंगे । किसी भी सदस्य को उसके वर्तमान निवास वाले विधानसभा क्षेत्र/जिला/राज्य में प्रभारी नहीं बनाया जा सकता ।

अनुच्छेद-38, विशेष प्रतिनिधित्व

पार्टी के संगठन में विभिन्न स्तरों पर महिलाओं, पिछड़े वर्गों, अल्पसंख्यकों, मजदूरों, युवाओं आदि को पर्याप्त प्रतिनिधित्व देने के लिए नियमानुसार पर्याप्त व्यवस्था की जायेगी।

अनुच्छेद-39, पार्टी का विलय व विघटन

पार्टी के विलय व विघटन की स्थिति में राष्ट्रीय कार्यकारिणी एक समिति बनाएगी, जो पार्टी के विलय या विघटन के तथ्यों पर अपनी संस्तुति देगी। समिति की संस्तुति प्राप्त होने पर राष्ट्रीय कार्यकारिणी विशेष अधिवेशन बुलायेगी, जिसमें इस विषय पर निर्णय लिया जायेगा। विशेष अधिवेशन में कुल सदस्यों के पचास प्रतिशत सदस्यों की उपस्थिति आवश्यक है। यह प्रस्ताव उपस्थिति सदस्यों के दो-तिहाई बहुमत से पारित होना चाहिए।

अनुच्छेद-40, संविधान संशोधन

इस संविधान में कोई भी संशोधन, परिवर्तन या परिवर्द्धन (संविधान के अनुच्छेद-4 व 5 के अतिरिक्त) राष्ट्रीय परिषद द्वारा किया जा सकता है। राष्ट्रीय परिषद की विशेष सभा, जो इस आशय से बुलाई गयी हो, में उपस्थित सदस्यों के दो-तिहाई बहुमत से संविधान को (संविधान के अनुच्छेद-4 व 5 के अतिरिक्त) संशोधित, परिवर्तित या परिवर्द्धित कर सकती है। राष्ट्रीय परिषद द्वारा अधिकृत किये जाने पर राष्ट्रीय कार्यकारिणी भी संविधान संशोधन, परिवर्तन या परिवर्द्धन (संविधान के अनुच्छेद-4 व 5 के अतिरिक्त) कर सकती है।

अनुच्छेद-41, कोरम

पार्टी के सभी स्तरों के संगठनों की बैठक संविधान में वर्णित प्रावधानों व सामान्यतः अपनायी जाने वाली प्रक्रियाओं के अनुसार आहूत की जायेगी। बैठकों में निर्णय प्रजातांत्रिक व्यवस्था के अनुसार बहुमत से लिये जायेंगे। पूर्ण/विशेष अधिवेशन व परिषदों के सम्मेलनों में कोरम सदस्यों की कुल संख्या का बीस प्रतिशत होगा। कार्यकारिणियों के लिये कोरम सदस्यों की कुल संख्या का एक-तिहाई होगा। राष्ट्रीय कार्यसमिति के लिये कोरम दो-तिहाई होगा।

अनुच्छेद-42, वचनबद्धता

पार्टी में सामान्यतः सभी पद नियत प्रक्रिया के अनुसार चुनाव द्वारा भरे जाएंगे।

पार्टी किसी भी प्रकार की हिंसा को बढ़ावा नहीं देगी और न ही उसमें शामिल होगी। पार्टी के सभी आंदोलन शान्तिपूर्ण ढंग से व अहिंसात्मक होंगे।

पार्टी के गठन के लक्ष्य व उद्देश्य (अनुच्छेद-5) तथा संकल्प (अनुच्छेद-4) को पूरा करने के लिये पार्टी का सत्ता में होना आवश्यक है । इसलिये पार्टी अपने पंजीकरण के पाँच वर्षों के अंदर निर्वाचन आयोग द्वारा करवाए जाने वाले चुनाव लड़ेगी तथा उसके पश्चात् भी चुनाव लड़ना जारी रखेगी । यदि पार्टी लगातार छः वर्षों तक चुनाव नहीं लड़ती तो पार्टी अपनी सभी इकाइयों को भंग कर देगी व भारत निर्वाचन आयोग को इसकी सूचना देगी तथा तब भारत निर्वाचन आयोग द्वारा पंजीकृत दलों की सूची से पार्टी का नाम हटाया जा सकता है ।